झारखंड उच्च न्यायालय रांची
सिविल रिट याचिका संख्या 3154/2018

रांची राइस मिल्स (प्रा.) लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय गोमिया, थाना गोमिया, जिला बोकारो में है, इसके निदेशक, मेघनाथ साहू, पिता स्वर्गीय तिलेश्वर साहू, निवासी निवासी इंद्रा गांधी चौक, ऊपरी चुटिया, डाक घर और थाना चुटिया, जिला- रांची के माध्यम से है। ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. अपर समाहर्ता, रांची, डाक घर.जी.पी.ओ., थाना कोतवाली, जिला रांची।
3. अंचल अधिकारी, बुंडू अंचल, रांची, डाकघर ... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राहुल कुमार गुप्ता, एडवोकेट
श्री आकाश भूषण, प्रतिवादी उत्तरदाता के लिए

के लिए : श्री मिथिलेश सिंह, जीए IV
श्री अनुज बर्मन, एसी से GA IV

उपस्थिति

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. हालांकि यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कई आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता अपनी प्रार्थना को

इस रिट याचिका के दिनांक 04.09.2015 (अनुलग्नक-4) के आदेश के उस हिस्से को रद्द करें, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, रांची ने म्यूटेशन रिवीजन केस संख्या 6R15/2015-16 में, हालांकि प्रवेश चरण में ही संशोधन को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही साथ सर्कल अधिकारी को आवेदक/उत्तरदाता के विक्रेता की जाति के संबंध में विस्तृत

जांच करने का निर्देश दिया और यह भी देखा कि यदि जांच करने पर यह पाया जाता है कि

आवेदक/उत्तरदाता के विक्रेता मुंडा जाति के अनुसार हैं, अंचल अधिकारी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत उचित कानूनी उपाय चुन सकता है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दर्ज किरायेदार के वंशज विचाराधीन भूमि के कब्जे में आए और दिनांक 08.05.2013 के पंजीकृत बिक्री-विलेख के आधार पर, उन्होंने विचाराधीन भूमि को बेच दिया और रिट याचिकाकर्ता को हस्तांतरित कर दिया - जो कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी है; 78 डेसिमिल के क्षेत्रफल को मापाना। विक्रेता की जाति 'राज भुइंयां' लिखी गई थी। घ्घ्राज भुइन्यांङ न तो अनुसूचित जनजातियों की सूची में है और न ही अनुसूचित जाति/पिछडे वर्गों की सूची में ळाराखंड राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में है। याचिकाकर्ता ने म्यूटेशन के लिए आवेदन किया। इसे अंचल अधिकारी ने खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने 2014-15 की म्यूटेशन अपील संख्या 01 दायर की। एल.आर.डी.सी., बुंडू ने अपील की अनुमति दी और प्रतिवादी नंबर 3- सर्कल ऑफिसर को रजिस्टर- II में याचिकाकर्ता का नाम दर्ज करने और याचिकाकर्ता के नाम से किराए की रसीद जारी करने का निर्देश दिया। राज्य ने 2015-16 के म्यूटेशन संशोधन संख्या 6 आर 15 के तहत अतिरिक्त कलेक्टर, रांची के समक्ष बिहार किरायेदार होल्डिंग (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 1973 की धारा 16 के तहत एक संशोधन दायर किया। अतिरिक्त कलेक्टर, रांची ने दिनांक 04.09.2015 के अपने आदेश द्वारा यह देखते हुए प्रवेश चरण में ही संशोधन को खारिज कर दिया कि 'म्यूटेशन अधिकारियों को एक या दूसरे के अधिकार, शीर्षक और हित के जटिल प्रश्न से निपटने की आवश्यकता नहीं है' और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा कोई आधार नहीं दिया गया है जो

अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष आदेश को प्रस्तुत कर सके, रांची टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए, संशोधन प्रवेश के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन संशोधन को खारिज करने के बाद भी, सर्किल अधिकारी को विक्रेता की जाति के सम्बन्ध में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत उचित कानूनी उपाय चुन सकते हैं।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण में पारित उक्त आदेश का बाद का हिस्सा अवैध है और अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि सर्कल अधिकारी को दर्ज किरायेदार की जाति के संबंध में जांच करने की शक्ति के साथ निहित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील नित्यानंद के मामले में शर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1996) 3 एससीसी 576 में रिपोर्ट किया गया भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा **करते हैं**

जिसका पैराग्राफ -15 निम्नानुसार है: -

> *"15. यह संसद का काम है कि वह कानून और अनुसूची में संशोधन करे और राज्य, जिले या क्षेत्र के लिए किसी जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या समूह को अनुसूची में शामिल करे और उसे बाहर रखे और उसे बाहर रखे और उसकी घोषणा निर्णायक हो। न्यायालय के पास आदेश में निर्दिष्ट जनजातियों के समकक्ष पर्यायवाची घोषित करने या किसी जाति/जनजाति आदि को शामिल करने या प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि संविधान के प्रयोजन के लिए, अनुच्छेद 366 (25) के तहत परिभाषित "अनुसूचित जनजातियां" अधिनियम के तहत प्रतिस्थापित (एसआईसी) और उसके तहत दूसरी अनुसूची निर्णायक हैं। यद्यपि साक्ष्य यह पता लगाने की एक सीमित सीमा तक स्वीकार्य हो सकता है कि क्या वह समुदाय जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में स्थिति का दावा करता है, वास्तव में, संबंधित अनुसूची में शामिल था, न्यायालय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या उसके भागों या जनजाति या ऐसी जाति या जनजाति के समूह के पर्यायवाची शब्दों में शामिल करने या बाहर करने या प्रतिस्थापित करने या घोषित करने की शक्ति नहीं है। (महत्त्व सन्निविष्ट)*

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे प्रभात कुमार शर्मा बनाम संघ लोक सेवा आयोग

और अन्य के मामले में (**2006) 10 एससीसी 587 में** रिपोर्ट **किए गए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं**

जिसका पैराग्राफ -16 निम्नानुसार है: -

> *"16. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि यदि राष्ट्रपति की अधिसूचना में कोई विशिष्ट वर्ग या जनजाति या उसका कोई भाग शामिल नहीं है, तो यह संसद का काम है कि वह कानून और अनुसूची में संशोधन करे और राज्य के लिए किसी जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या समूह को अनुसूची में शामिल करे और उसे शामिल करे। न्यायालयों को अनुच्छेद 366(24) और (25) के साथ पठित अनुच्छेद 341 और 342 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को पढ़ना चाहिए और उनके सामान्य अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। <u>न तो सरकार और न ही न्यायपालिका</u>*
>
> *<u>अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ या घटा सकते हैं।</u> लेकिन, न्यायालय के पास यह पता लगाने की सीमा तक सीमित क्षेत्राधिकार होगा कि क्या वह समुदाय जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा करता है, वास्तव में संबंधित अनुसूची में शामिल था। उस सीमित सीमा तक, न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार होगा, लेकिन अन्यथा, न्यायालय अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या उनके भागों या ऐसी जातियों या जनजातियों के समूह में शामिल करने या बाहर करने या प्रतिस्थापित करने या पर्यायवाची शब्द घोषित करने की शक्ति से रहित है।* (महत्त्व सन्निविष्ट)

और प्रस्तुत करता है कि एक समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा घोषित नहीं किया जाता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के विक्रेता की जाति खतियान में 'राज भुइंयां' के रूप में दर्ज की गई है। यह भी निर्विवाद है कि 'राज भुइंयां' को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है जिसमें उक्त समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, रांची कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखने में विफल रहे कि एक नामांतरण कार्यवाही में, राज्य प्राधिकरण या इसकी मशीनरी द्वारा केवल कब्जे के

तथ्य की जांच की जानी आवश्यक है और निश्चित रूप से विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, रांची ने 'राज भुइंयां' की जाति के संबंध में जांच का निर्देश देकर अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। इसलिए 'राज भुइंयां' अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के तहत किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और न ही याचिकाकर्ता के पक्ष में उनके द्वारा विचाराधीन भूमि को स्थानांतरित करने में कोई रोक है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, रांची ने याचिका को खारिज करने के बाद बिहार किरायेदार होल्डिंग (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 1973 के दायरे से परे कोई आदेश पारित नहीं किया होगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अनुमति दी जाए।

5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, इस रिट याचिका में रिट याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हैं। विद्वान

उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक जांच पर सर्किल अधिकारी ने पाया कि विचाराधीन भूमि का मालिक जाति 'राज भुइयां' के रूप में दर्ज है। अंचल अधिकारी, बुंडू ने विक्रेताओं को जाति के आधार पर मुंडा का सदस्य माना है, हालांकि अनजाने में जवाबी हलफनामे के पृष्ठ-8 में यह उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी ने जाति के आधार पर वेंडीज को मुंडा का सदस्य माना। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि जवाबी हलफनामे के पैरा -7 में यह उल्लेख किया गया है कि जांच पर यह माना गया है कि विचाराधीन भूमि 'भुइयां' या 'मुंडा' जाति के रूप में दर्ज की गई है, लेकिन वास्तव में, यह एक गलत बयान है और दर्ज जाति केवल 'राज भुइनियां' के रूप में है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जांच के बाद, अंचल अधिकारी को पता चला कि 'राज भुइनियां' कोई और नहीं बल्कि 'मुंडा' है जो जाति एक अनुसूचित जनजाति है। इसलिए, अतिरिक्त कलेक्टर,

रांची के निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत दर्ज किरायेदारों को प्रश्नगत भूमि की बहाली के लिए उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों के माध्यम से जाने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि **नित्यानंद शर्मा और एक और बनाम बिहार राज्य और अन्य (सुप्रा)** में कोई अनिश्चित तरीके से नहीं है, यह देखा गया कि न्यायालय के पास आदेश में निर्दिष्ट जनजातियों के समकक्ष पर्यायवाची घोषित करने या किसी जाति/जनजाति आदि को शामिल करने या प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। निर्विवाद तथ्य यह है कि संबंधित रिकॉर्ड में विक्रेता की जाति 'राज भुइंयां' बताई गई है। कानून के स्थापित सिद्धांत के मद्देनजर, निश्चित रूप से अंचल अधिकारी या अतिरिक्त कलेक्टर के पास 'मुंडा' को 'राज भुइंयां' के समकक्ष घोषित करने और यह निष्कर्ष निकालने की कोई शक्ति नहीं है कि 'राज'

भुइनियां राष्ट्रपति के आदेश में विनिदष्ट एक अनुसूचित जनजाति है। इसके अलावा, चूंकि अतिरिक्त कलेक्टर बिहार किरायेदार होल्डिंग (अभिलेखों का रखरखाव) अधिनियम, 1973 की धारा 16 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सही कहा है कि म्यूटेशन अधिकारियों को एक या दूसरे के अधिकार, शीर्षक और हित के जटिल प्रश्न से निपटना नहीं चाहिए और पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा कोई आधार नहीं सौंपा गया है जो अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष आक्षेपित आदेश को प्रस्तुत कर सके, निश्चित रूप से उन्होंने बिहार काश्तकार धारिता

(अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 की धारा 16 के दायरे से परे जाकर यह निर्देश देकर एक विकृति की है कि अंचल अधिकारी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के तहत उचित कानूनी उपाय का विकल्प चुन सकता है।

7. तदनुसार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इस रिट याचिका के दिनांक 04.09.2015 (अनुलग्नक-4) के आदेश के उस हिस्से, जिसके द्वारा म्यूटेशन पुनरीक्षण (नामांतरण पुनरीक्षण) केस नंबर 6R15/2015-16 में विद्वान अतिरिक्त कलेक्टर, रांची ने स्वीकृति में ही संशोधन को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही साथ सर्कल अधिकारी को विक्रेता की जाति के संबंध में विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया, जब विक्रेता एक कंपनी है और उसकी कोई जाति नहीं है और इसके अतिरिक्त, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के उपबंधों के तहत उपयुक्त कानूनी उपाय का विकल्प चुनने के लिए को कहा उसे रद्द और अपास्त किया जाता है।

8. इस रिट याचिका को केवल पूर्वोक्त सीमा तक ही अनुमति दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय,
रांची दिनांक 22 फरवरी,
2024 AFR/

[यह अनुवाद शिववचन यादव , पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया]